न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 119/2025 निर्णय दिनांकः 5-1-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/220)

1. चतरसिंह पुत्र महोबत सिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 के.एम. तहसील कोलायत जिला बीकानेर। (मृतक)

1/1 सांगसिंह पुत्र चतरसिंह

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।
2. अन्नाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर
3. दीवान सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बागड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश सहायक
उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत दिनांक 26–02–2014

उपस्थितिः–

1. श्री करण सिह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेश, कोलायत के आदेश दिनांक 26–02–2014 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गयाके विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को चक 1 के.एम. के मुरब्बा नम्बर 192/51 में 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन सन 1981 में किया गया था। परन्तु पत्थर गड्डी के गलत होने के कारण कब्जे के आधार पर चक 1 के.एम. के मुरब्बा नम्बर 19/51 के स्थान पर चक 1 के.एम. के मुरब्बा नम्बर 192/43 की 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 09–04–2007 को किया गया। अपीलांट वर्ष 1981 से ही चक 1 के.एम. के मुरब्बा नम्बर 192/43 की 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर काबिज है। वर्तमान में मौके पर अपीलांट की ढाणी व ट्यूबवेल बना हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 09–04–2007 को चक 1 के.एम. के मुरब्बा नम्बर 192/43 की 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था परन्तु उसी भूमि का आवंटन दिनांक 26–02–2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का आवंटन करने में त्रुटि कारित की है क्योकि उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में ही अपीलांट को आवंटित हो चुकी थी। एक बार किसी को आवंटित भूमि का दूबारा आवंटन नही किया जा सकता है। उक्त भूमि अपीलांट की स्वअर्जित संपति है।

अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि आराजीराज है इसलिए नियम 13(5)(सी) के अन्तर्गत मुरब्बा नम्बर 192/43 के किला नम्बर 1 ता 15 अनकमाण्ड कीमतन आरक्षित दर पर तथा इसी मुरब्बे की शेष 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि छोटी भूमि की श्रेणी में आवंटित की गई है उक्त आदेश पूर्णतय विधि विरूद्ध है। अपीलांट की भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट को बिना सुने किया गया है। उक्त कार्यवाही एकपक्षीय कार्यवाही की श्रेणी में आती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–02–2014 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1989 पेज 302, आरआरडी 1992 पेज 173, आरआरडी 1992 पेज 17 प्रस्तुत किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01–07–2014 को हुआ जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने पहुँचे तथा उसने बतलाया कि वादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड दो उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आवंटित करवा ली है। जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 02–07–2014 को नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 07–07–2014 का नकल प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। इसलिए अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। उक्त भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज उपलब्ध होने पर ही इसका आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–04–2007 को पत्थर गड्डी के आदेश प्रदान किये गये है तथा दिनांक 26–02–2014 को उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। उक्त 7 वर्षो की अवधि में भी भूमि अपीलांट के नाम दर्ज नही हुई। अपीलांट को 7 वर्षो में कभी भी नाजायज कब्जा को नोटिस नही मिला जिससे यह तथ्य साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। संशोधित आदेश दिनांक 09–04–2007 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुरब्बा नम्बर 192/51 किश्तो के अभाव में खारिज है के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 192/13 का अंकन किया जावे। अपीलांट चतरसिंह को मुरब्बा नम्बर 192/51 का आवंटन किया गया था तथा दिनांक 09–04–2007 को संशोधित आदेश में खारिजी का अंकन किया गया है इससे यह साबित है कि चतरसिंह को 192/51 का आवंटन किया गया था परन्तु काश्त नही करने के कारण व किश्ते जमा नही करवाने के कारण उक्त आदेश निरस्त किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियम 13(5)(सी) की पालना करते हुए तथा रकबा अराजीराज होने पर इसका आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदार भी प्राप्त हो चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि का आगे बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को किया जा चुका है। अब अपीलांट अपील के माध्यम से किसी प्रकार कर रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवाधे गुजरने के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। इस सूरत में न्यायिक दृष्टांत यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** प्रकरण जहॉ गुणावगुण पर मजबुत हो वहॉ प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दू की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विलम्ब कंडोन कर अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में गुणावगुण पर विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व उभय पक्ष की बहस के आधार पर प्रकरण में निम्नाकिंत तथ्य निर्विवाद है–

(1) प्रश्नगत आराजी चक 1 के एम के मुरब्बा नम्बर 192/51 के 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 09–03–1981 को अपीलांट चतरसिंह को हुआ था।

(2) आदेश दिनांक 03–04–2001 द्वारा किश्तो के अभाव में अपीलांट को आवंटित उपरोक्त रकबे का आवंटन खारिज कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) दिनांक 09–04–2007 को एक संशोधित आदेश जारी हुआ जिसके द्वारा अपीलांट को चक 1 के एम की मुरबा नम्बर 152/51 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 192/43 की भूमि आवंटन के आदेश हुए। इस आदेश में नीचे यह लिखा गया कि किश्तो के अभाव में खारिज मुरब्बा नम्बर 192/51 के स्थान पर 192/43 का खरिजी का अंकन किया जावे।

(4) आदेश दिनांक 17–03–2008 द्वारा अपीलांट की मुरब्बा नम्बर 192/51 की 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन बहाल किया गया।

(5) आदेश दिनांक 03–01–2005 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनाराम को चक 2 के एम की मुरब्बा नम्बर 211/31 की 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त कर मुरब्बा नम्बर 211/23 की भूमि का आवंटन किया गया।

(6) दिनांक 26–02–2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनाराम को चक 1 केएम के मुरब्बा नम्बर 192/43 की 15 बीघा भूमि नियम 13 (5) (सी) के तहत तथा 10 बीघा भूमि स्मॉलपेच में आवंटित की गई।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि अपीलांट चतरसिंह को आवंटित भूमि चक 1 के एम के मुरब्बा नम्बर 192/51 का आवंटन वर्ष 2001 में किश्तो के अभाव में खारिज हो चुका था। इस आवंटन के बहालहोने से पहले ही संशोधित आदेश दिनांक 09–04–2007 द्वारा चक 1 के एम की मुरबा नम्बर 152/51 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 192/43 की भूमि आवंटन के आदेश कर दिये गये जबकि वर्ष 2007 में अपीलांट का आवंटन खारिज था तथा इस आदेश में नीचे यह लिखा गया कि किश्तो के अभाव में खारिज मुरब्बा नम्बर 192/51 के स्थान पर 192/43 का खारिजी का अंकन किया जावे। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि मुरब्बा नम्बर 192/43 का आवंटन कभी बहाल किया गया हो।

इस सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन के वक्त प्रश्नगत भूमि के अराजीराज होने की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। दिनांक 26–02–2014 को प्रश्तगत आराजी अराजीराज थी। पत्रावली पर ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिससे यह साबित हो कि दिनांक 26–02–2014 को प्रश्नगत आराजी अपीलांट को आवंटित रही हो अथवा अपीलांट की इस अराजी का आवंटन बहाल हो गया हो। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5-1-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर